62

53

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
:मंत्रालयः वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक : एफ 53/2/2011/यो/19/4860 भोपाल, दिनांक 9-9-2011

// आदेश //

आयटम रेट निविदाओं (एस.बी.डी.) में निविदाकारों द्वारा असंतुलित निविदा (Unbalanced Bid) देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त परफारमेंस सिक्युरिटी लिये जाने हेतु निम्न मार्गदर्शी सिद्वान्त जारी किये जाते हैं :—

(i) आयटम रेट निविदा में लागू एस.ओ.आर. की तुलना में सफल निविदाकार के प्राप्त औसत निविदा प्रतिशत (L1 offer represented in terms of percent of PAC) से 10 प्रतिशत उपर / नीचे तक के आयटम दरों को संतुलित दरें तथा इनके परे (10 प्रतिशत उपर/नीचे की संतुलित दर सीमा से अधिक/कम) दरों को असंतुलित आयटम दरें (Unbalanced item rates) माना जाये एवं निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी की गणना की जाये :—

(a) प्रारम्भिक कार्य जैसे— जंगल सफाई, पेड़ कटाई, स्केरीफिकेशन, मिट्टी कार्य, ड्रेनेज लेयर एवं जी.एस.बी. लेयर के कार्यो में उपरी संतुलन दर सीमा से अधिक दरें प्राप्त होने पर इन आयटमों को फ्रंट लोडेड आयटम माना जावेगा एवं निविदा को फ्रंट लोडेड निविदा माना जावेगा । फ्रंट लोडेड निविदा के प्रकरण में असंतुलित दरों (Unbalanced rates) के कारण समस्त फ्रंट लोडेड आयटमों की उपरी संतुलन सीमा से अधिक लागत को अतिरिक्त परफारमेंस गॉरन्टी (additional performance gaurantee) के रूप में लिया जाये ।

(b) साथ ही उपरोक्त प्रारम्भिक आयटमों को छोड़कर शेष प्रत्येक आयटमों (rear Unloaded) में वास्तविक निविदा दर (offered Item rates of L1) एवं निचली

संतुलन सीमा दर (average tendered rate of L1 minus ten) के अन्तर पर आधारित लागत को भी rear unloaded items की अतिरिक्त परफारमेंस गॉरन्टी (additional performance gaurantee) के रूप में लिया जाये ।

(ii) उपरोक्तानुसार असंतुलित दरों (Unbalanced rates) के लिए अतिरिक्त परफारमेंस गॉरन्टी लिये जाने की सूचना, निविदा स्वीकृति की सूचना के साथ ही दी जाये एवं यह उसी प्रारूप में ली जाये, जिस प्रारूप में अर्नेस्ट मनी /निविदा की परफारमेंस गॉरन्टी ली जाती है ।

(iii) उपरोक्तानुसार असंतुलित दरों (Unbalanced rates) के लिए अतिरिक्त परफारमेंस गॉरन्टी (additional performance gaurantee) लेने के उपरान्त ही अनुबन्ध निष्पादित किया जावे ।

(iv) उपरोक्तानुसार असंतुलित दरों (Unbalanced rates) के लिए ली गई अतिरिक्त परफारमेंस गॉरन्टी (additional performance gaurantee) कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र (completion certificate) जारी होने के पश्चात् ही वापस की जाये ।

प्रादर्श गणना पत्रक सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सहपत्र – उपरोक्तानुसार

9/9/11

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग

64

पृ0 कमांक : एफ-53/2/2011/यो/19/4860 भोपाल, दिनांक 9-9-2011

प्रतिलिपिः— 1. निज सचिव, मा0 मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल.

2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल

3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश.

4. समस्त अधीक्षण यंत्री, मण्डल कार्यालय, लो.नि.वि., मध्यप्रदेश.

5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(कमांक 1 को छोड़कर)

9/9/11

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग